

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 262/2021

दायर दिनांक 14.09.2021

वादी

प्रतिवादीगण

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ओमप्रकाश सेवादा पुत्र
घासीराम 2. सुरेश चौधरी पुत्र घासीराम
समस्त जाति जाट निवासी
डिकावा, तहसील डीडवाना
जिला नागौर राज0। | बनाम <ol style="list-style-type: none"> 1. घासीराम पुत्र बालुराम 2. कमला पत्नि घासीराम समस्त जाति जाट
निवासी डिकावा तहसील डीडवाना जिला
नागौर राज0। 3. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर
राज0। |
|---|---|

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-88 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी।

--: निर्णय :-

दिनांक 14.05.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण की पैतृक खातेदारी का खेत खसरा सं0 46 रकबा 0.05 हैक्टे0, खसरा सं0 47 रकबा 0.01 हैक्टे0, खसरा सं0 48 रकबा 11.03 हैक्टे0 वाकै सरहद बेगसर में अवस्थित है जो कि वादीगण के दादा बालुराम के स्वमित्व व हक अधिकार की रही है।

यह है कि बालुराम के दो पौत्र व एक पौत्री विधिक वारिसान है जो घासीराम की जाईन्दा सन्तान है तथा उपर वर्णित खसरा नम्बरान की सम्पूर्ण जायगा पैतृक भूमि है जो पूर्व में बालुराम के नाम खातेदारी दर्ज रही तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात उक्त खसरान की भूमियां बालुराम एकमात्र पुत्र घासीराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है।

यह है कि उपरोक्त वर्णित खसरान् में वादीगण का 1/4-1/4 भाग में कब्जा काशत रहा है तथा वर्तमान में भी मौके पर काबिज है तथा वादीगण के हक अधिकार की भूमि पर वादीगण का निर्बाध रूप से कब्जा काशत चला आ रहा है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है -

कि खेत खसरा सं0 46 रकबा 0.05 हैक्टे0, खसरा सं0 47 रकबा 0.01 हैक्टे0, खसरा सं0 48 रकबा 11.03 हैक्टे0 वाकै सरहद बेगसर में वादीगण के 1/4 - 1/4 भाग की खातेदारी पैतृक होने से वादीगण के नाम घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश सादर फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान को सुना गया। प्रतिवादी सं0 01, 02 का राजीनामा पेश हुआ। जिसे बाद तसदीक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 03 को जरिये समन तलब किया। बावजूद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।


पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)



—: आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै ग्राम बेगसर खेत खसरा सं० 46 रकबा 0.05 हैक्टे०, खसरा सं० 47 रकबा 0.01 हैक्टे०, खसरा सं० 48 रकबा 11.03 हैक्टे० वादीगण के 1/4 - 1/4 भाग में वादीगण को स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जाता है।
तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


(कार्तिकेय मीणा)
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।


(कार्तिकेय मीणा)
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 262/2021

दायर दिनांक 14.09.2021

वादी

1. ओमप्रकाश सेवादा पुत्र
घासीराम
2. सुरेश चौधरी पुत्र घासीराम
समस्त जाति जाट निवासी
डिकावा, तहसील डीडवाना
जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. घासीराम पुत्र बालुराम
2. कमला पत्नि घासीराम समस्त जाति जाट निवासी
डिकावा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
3. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत


घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act.

दिनांक 14.05.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व
हाजरी मिनजानिब मुददई श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी की और से मद्दायलह
पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै ग्राम वेगसर खेत
खसरा सं0 46 रकबा 0.05 हैक्टे0, खसरा सं0 47 रकबा 0.01 हैक्टे0, खसरा सं0 48
रकबा 11.03 हैक्टे0 वादीगण के 1/4 - 1/4 भाग में वादीगण को स्वतंत्र खातेदार
घोषित किया जाता है।


तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....
-.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को
अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 14.05.2022 को
राष्ट्रीय लोक अदालत में जारी की गयी।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)